Neutral Citation No. – 2026:**AHC**:129560

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

बी.एन.एस.एस. की धारा 528 के अंतर्गत आवेदन संख्या – 36991 वर्ष 2025

सतीश कुमार भारती उर्फ छोटू .....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 2 अन्य .....विपक्षीगण

आवेदक की ओर से अधिवक्ता	: मन्नू राम, पंकज कुमार गुप्ता
विपक्षीगण की ओर से अधिवक्ता	: जी.ए., उदित चंद्र

न्यायालय संख्या – 68

(क्रम संख्या–65)

माननीय न्यायमूर्ति अनीश कुमार गुप्ता

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री पंकज कुमार गुप्ता, विद्युत विभाग की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री उदित चंद्र की ओर से श्री नितेश पटेल, जो अस्थायी रूप से उपस्थित हुए, तथा राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. श्री संदीप चौधरी को सुना।

2. वर्तमान आवेदन **सत्र वाद संख्या 557 वर्ष 2023 (राज्य बनाम सतीश कुमार भारती उर्फ छोटू)** की संपूर्ण कार्यवाही को निरस्त करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है, जो वाद अपराध संख्या 667 वर्ष 2020,

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

Translated Version. Not For Legal Use.

भारतीय विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 135, थाना एंटी पावर थेफ्ट, जनपद चंदौली से उत्पन्न हुई है और अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, एफ.टी.सी., चंदौली के न्यायालय में लंबित है।

3. संक्षेप में मामले के तथ्य यह हैं कि प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार, दिनांक 26.10.2020 को निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि आवेदक बिना किसी वैध विद्युत कनेक्शन के सीधे विद्युत संयोजन किए हुए था। पूछताछ करने पर वह अपने परिसर में विद्युत के उपयोग के संबंध में कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। विद्युत के उक्त अवैध उपयोग की वीडियो रिकॉर्डिंग भी की गई और तत्पश्चात दिनांक 30.10.2020 को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई। मामले का अन्वेषण किया गया और आवेदक के विरुद्ध भारतीय विद्युत अधिनियम की धारा 135 के अंतर्गत आरोप-पत्र दाखिल किया गया, जिस पर विशेष न्यायाधीश, चंदौली द्वारा दिनांक 05.07.2023 के आदेश के माध्यम से संज्ञान लिया गया।

4. इससे क्षुब्ध होकर आवेदक द्वारा उपर्युक्त आपराधिक मामले की संपूर्ण कार्यवाही को निरस्त किए जाने की प्रार्थना के साथ वर्तमान आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

5. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने अधिनियम की धारा 135(1)(क) के द्वितीय परंतुक पर भरोसा करते हुए प्रस्तुत किया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट निरीक्षण की तारीख, जब आवेदक के परिसर में विद्युत चोरी पाई गई थी, से 24 घंटे के भीतर दर्ज की जानी चाहिए थी। चूंकि प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 30.10.2020 को, 4 दिन के पश्चात, दर्ज की गई, इसलिए विचारण न्यायालय द्वारा उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर कोई संज्ञान नहीं लिया जा सकता था। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि धारा 135(1) में ऐसी पांच परिस्थितियां निर्धारित की गई हैं, जो विद्युत चोरी के पांच अलग-अलग अपराधों का गठन करती हैं और उनमें से किसी का भी उल्लेख न तो प्रथम

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

सूचना रिपोर्ट में, न ही आरोप–पत्र में और न ही आवेदक के विरुद्ध संज्ञान लेने के आदेश में किया गया है। ऐसी स्थिति में संज्ञान आदेश विधि की दृष्टि से पोषणीय नहीं है और उन्होंने आवेदक के विरुद्ध संपूर्ण कार्यवाही को निरस्त किए जाने की प्रार्थना की।

6. अपनी दलील के समर्थन में आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने इस न्यायालय के **वरुण कुमार यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, 2025(7) ए.डी.जे. 710** के निर्णय तथा इस न्यायालय की खंडपीठ द्वारा दिनांक 02.12.2023 को आपराधिक विविध **रिट याचिका संख्या 18729 वर्ष 2023 (आशिम @ हसीम बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं एक अन्य)** में पारित निर्णय पर भरोसा किया है।

7. इसके विपरीत, विद्युत विभाग की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने दिनांक 06.02.2013 को आपराधिक विविध **रिट याचिका संख्या 265 वर्ष 2023 (इंद्रेश पटेल @ इंद्रेश्वर सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं 4 अन्य)** में पारित निर्णय पर भरोसा किया और प्रस्तुत किया कि उक्त निर्णय में इस न्यायालय की खंडपीठ ने अभिनिर्धारित किया है कि अधिनियम की धारा 135(1–क) के उक्त प्रावधान केवल निदेशात्मक हैं और उनके उल्लंघन के लिए, जब तक अन्यथा स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट न किया गया हो, कोई परिणाम नहीं है।

8. विद्युत विभाग की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि **वरुण कुमार यादव के मामले में दिए गए निर्णय के विरुद्ध विशेष अनुमति याचिका (आपराधिक) डायरी संख्या 74474 वर्ष 2025 (पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड बनाम वरुण कुमार यादव एवं अन्य)** उच्चतम न्यायालय के समक्ष पहले ही दाखिल की जा चुकी है और दिनांक 23.01.2026 के आदेश द्वारा उक्त विशेष अनुमति याचिका में प्रतिवादियों को नोटिस जारी किए गए हैं। प्रतिवादी की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि यद्यपि अधिनियम, 2003 की धारा 135(1) के अंतर्गत अपराध की विशिष्ट श्रेणी का उल्लेख प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं किया गया है, तथापि प्रथम सूचना रिपोर्ट में

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

Translated Version Not For Legal Use

वर्णित तथ्यों से यह स्पष्ट है कि आवेदक धारा 135(1)(क) के अंतर्गत अपराध के लिए उत्तरदायी है और मात्र इस कारण कि अपराध के सामान्य प्रावधान धारा 135 का उल्लेख किया गया है, जो विभिन्न श्रेणियों में अपराध को परिभाषित करती है, आवेदक को कोई लाभ नहीं दिया जा सकता, जब प्रथम सूचना रिपोर्ट में घटना का विवरण स्पष्ट एवं पूर्ण रूप से दिया गया हो।

9. मामले में आगे कार्यवाही करने से पूर्व भारतीय विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 135 पर ध्यान देना प्रासंगिक होगा, जो निम्नवत् है:

"धारा 135. विद्युत की चोरी: — (1) जो कोई बेईमानी से,

(क) किसी अनुज्ञप्तिधारी या आपूर्तिकर्ता की, यथास्थिति, ओवरहेड, भूमिगत या पानी के नीचे की लाइनों या केबलों, सर्विस तारों अथवा सर्विस सुविधाओं से कोई संयोजन करता है, कराता है या कराया जाता है; या

(ख) किसी मीटर के साथ छेड़छाड़ करता है, छेड़छाड़ किए गए मीटर, विद्युत धारा को विपरीत दिशा में प्रवाहित करने वाले ट्रांसफॉर्मर, लूप संयोजन अथवा किसी अन्य ऐसे उपकरण या विधि को स्थापित करता है या उपयोग करता है, जो विद्युत धारा के सही अथवा उचित पंजीकरण, अंशांकन या मीटरिंग में हस्तक्षेप करता है या अन्यथा ऐसी स्थिति उत्पन्न करता है जिससे विद्युत की चोरी या अपव्यय होता है; या

(ग) किसी विद्युत मीटर, उपकरण, यंत्र अथवा तार को क्षतिग्रस्त या नष्ट करता है अथवा उसे इस प्रकार क्षतिग्रस्त या नष्ट करवाता है या होने देता है जिससे विद्युत की उचित अथवा सही मीटरिंग में हस्तक्षेप हो; या

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

Translated Version. Not For Legal Use.

(घ) छेड़छाड़ किए गए मीटर के माध्यम से विद्युत का उपयोग करता है; या

(ङ) विद्युत का उपयोग उस प्रयोजन से भिन्न किसी प्रयोजन के लिए करता है, जिसके लिए विद्युत का उपयोग प्राधिकृत किया गया था, इस प्रकार विद्युत का अपहरण, उपभोग अथवा उपयोग करता है,

तो वह ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडनीय होगा:

परंतु जहां अपहृत, उपभोग की गई या उपयोग की गई अथवा अपहरण, उपभोग या उपयोग करने का प्रयास की गई—"

(i) जहां अपहृत, उपभोग की गई या उपयोग की गई अथवा अपहरण, उपभोग या उपयोग करने का प्रयास की गई विद्युत की मात्रा 10 किलोवाट से अधिक नहीं है, वहां प्रथम दोषसिद्धि पर अधिरोपित जुर्माना ऐसी विद्युत चोरी के कारण हुए वित्तीय लाभ का तीन गुना से कम नहीं होगा और द्वितीय या उसके पश्चात् की दोषसिद्धि की दशा में अधिरोपित जुर्माना ऐसी विद्युत चोरी के कारण हुए वित्तीय लाभ का छह गुना से कम नहीं होगा;

(ii) जहां अपहृत, उपभोग की गई या उपयोग की गई अथवा अपहरण, उपभोग या उपयोग करने का प्रयास की गई विद्युत की मात्रा 10 किलोवाट से अधिक है, वहां प्रथम दोषसिद्धि पर अधिरोपित जुर्माना ऐसी विद्युत चोरी के कारण हुए वित्तीय लाभ का तीन गुना से कम नहीं होगा और द्वितीय या उसके पश्चात् की दोषसिद्धि की दशा में दंड छह माह से कम की अवधि के

Translated Version- Not For Legal Use

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

कारावास से, जो पांच वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, तथा ऐसी विद्युत चोरी के कारण हुए वित्तीय लाभ के छह गुना से कम न होने वाले जुर्माने से होगा:

परंतु यह भी कि किसी व्यक्ति की द्वितीय और उसके पश्चात् की दोषसिद्धि की दशा में, जहां अपहृत, उपभोग की गई या उपयोग की गई अथवा अपहरण, उपभोग या उपयोग करने का प्रयास की गई विद्युत की मात्रा 10 किलोवाट से अधिक है, ऐसा व्यक्ति ऐसी अवधि के लिए, जो तीन माह से कम नहीं होगी किंतु दो वर्ष तक बढ़ाई जा सकेगी, विद्युत की किसी भी आपूर्ति को प्राप्त करने से भी वंचित कर दिया जाएगा और ऐसी अवधि के लिए किसी अन्य स्रोत या विद्युत उत्पादन केंद्र से विद्युत की आपूर्ति प्राप्त करने से भी वंचित कर दिया जाएगा:

परंतु यह भी कि यदि यह साबित हो जाता है कि उपभोक्ता द्वारा विद्युत के अपहरण, उपभोग या उपयोग के लिए बोर्ड या अनुज्ञप्तिधारी या आपूर्तिकर्ता द्वारा, यथास्थिति, प्राधिकृत न किए गए किसी कृत्रिम साधन या साधनों का अस्तित्व है, तो जब तक इसके विपरीत साबित न कर दिया जाए, यह उपधारणा की जाएगी कि विद्युत का कोई अपहरण, उपभोग या उपयोग ऐसे उपभोक्ता द्वारा बेईमानी से किया गया है।

(1–क) इस अधिनियम के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अनुज्ञप्तिधारी या आपूर्तिकर्ता, यथास्थिति, विद्युत की ऐसी चोरी का पता चलने पर विद्युत की आपूर्ति को तत्काल विच्छेदित कर सकता है:

परंतु केवल अनुज्ञप्तिधारी या आपूर्तिकर्ता का ऐसा अधिकारी, जिसे समुचित आयोग द्वारा इस प्रयोजन के लिए प्राधिकृत किया गया हो, अथवा अनुज्ञप्तिधारी या आपूर्तिकर्ता का, यथास्थिति,

Translated Version Not For Legal Use

उस प्राधिकृत अधिकारी से उच्चतर पंक्ति का कोई अन्य अधिकारी ही विद्युत की आपूर्ति लाइन को विच्छेदित करेगा:

परंतु यह भी कि अनुज्ञप्तिधारी या आपूर्तिकर्ता का ऐसा अधिकारी, यथास्थिति, ऐसे अपराध के किए जाने से संबंधित लिखित शिकायत, ऐसी विद्युत आपूर्ति के विच्छेदन के समय से चौबीस घंटे के भीतर, अधिकारिता रखने वाले पुलिस थाने में दर्ज कराएगा:

परंतु यह भी कि अनुज्ञप्तिधारी या आपूर्तिकर्ता, यथास्थिति, इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार निर्धारित राशि या विद्युत शुल्क के जमा या भुगतान किए जाने पर, इस खंड के दूसरे परंतुक में निर्दिष्ट शिकायत दर्ज कराने के दायित्व पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसी जमा या भुगतान किए जाने के अड़तालीस घंटे के भीतर विद्युत आपूर्ति लाइन को पुनः स्थापित करेगा।]

(2) [अनुज्ञप्तिधारी या आपूर्तिकर्ता का कोई अधिकारी, यथास्थिति,] जिसे इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किया गया है, — (क) ऐसे किसी स्थान या परिसर में प्रवेश कर सकता है, निरीक्षण कर सकता है, ताला तोड़कर खोल सकता है और तलाशी ले सकता है, जिसके संबंध में उसे यह विश्वास करने का कारण है कि वहां विद्युत का [अनधिकृत रूप से उपयोग किया गया है या किया जा रहा है];

(ख) ऐसे सभी उपकरणों, यंत्रों, तारों तथा किसी अन्य सहायक साधन या वस्तु की तलाशी ले सकता है, उन्हें अभिगृहीत कर सकता है और हटा सकता है, जिनका विद्युत के अनधिकृत उपयोग के लिए उपयोग किया गया है या किया जा रहा है;

Translated Version. Not For Legal Use.

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

(ग) किसी लेखा–पुस्तक या दस्तावेज की जांच या अभिग्रहण कर सकता है, जो उसकी राय में उप–धारा (1) के अधीन अपराध के संबंध में किसी कार्यवाही के लिए उपयोगी या प्रासंगिक होगा तथा उस व्यक्ति को, जिसकी अभिरक्षा से ऐसी लेखा–पुस्तक या दस्तावेज अभिगृहीत किए गए हैं, उसकी उपस्थिति में उनकी प्रतिलिपियां बनाने या उनसे उद्धरण लेने की अनुमति दे सकता है।

(3) तलाशी के स्थान का अधिभोगी या उसकी ओर से कोई व्यक्ति तलाशी के दौरान उपस्थित रहेगा और ऐसी तलाशी के दौरान अभिगृहीत की गई सभी वस्तुओं की एक सूची तैयार की जाएगी तथा उस अधिभोगी या व्यक्ति को दी जाएगी, जो उस सूची पर हस्ताक्षर करेगा: परंतु यह कि किसी घरेलू स्थान या घरेलू परिसर का कोई निरीक्षण, तलाशी और अभिग्रहण सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच नहीं किया जाएगा, सिवाय इसके कि ऐसे परिसर में निवास करने वाला कोई वयस्क पुरुष सदस्य वहां उपस्थित हो।

(4) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के तलाशी और अभिग्रहण से संबंधित उपबंध, जहां तक संभव हो, इस अधिनियम के अधीन की गई तलाशी और अभिग्रहण पर लागू होंगे।"

10. विद्युत अधिनियम की धारा 135 विद्युत की चोरी से संबंधित है और उप–धारा (1) में विभिन्न श्रेणियों के ऐसे अपराधों का प्रावधान किया गया है, जो विद्युत की चोरी के दायरे में आते हैं। तथापि, धारा 135 की उप–धारा (1) में उल्लिखित सभी श्रेणियों के लिए निर्धारित दंड समान है, अर्थात् तीन वर्ष तक की अवधि के कारावास या जुर्माने अथवा दोनों से दंडित किया जा सकता है। इस न्यायालय की सुविचारित राय में, प्रथम सूचना रिपोर्ट में किए गए अपराध के विवरण से स्पष्ट रूप से यह उल्लेखित है कि अपराध धारा 135 (1) के अंतर्गत आता है, क्योंकि वर्तमान

Translated Version. Not For Legal Use.

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

आवेदक के परिसर में विद्युत का कोई अधिकृत कनेक्शन नहीं था। तथापि, वह अवैध रूप से केबल बिछाकर विद्युत का उपयोग करता हुआ पाया गया। इसकी वीडियोग्राफी भी की गई थी। वह विद्युत के ऐसे उपयोग के संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत करने में असमर्थ रहा और न ही उसने इस न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत किया, जिससे उसे विद्युत का उपयोग करने का अधिकार प्राप्त होना प्रमाणित होता हो। धारा 135 की उप–धारा (1) में प्रदान की गई विभिन्न श्रेणियों को विद्युत की चोरी की परिभाषा के रूप में देखा जा सकता है। अतः इस न्यायालय को प्रथम सूचना रिपोर्ट अथवा आरोप–पत्र तथा संज्ञान आदेश में धारा 135 की उप–धारा (1) में उल्लिखित विशिष्ट श्रेणी का उल्लेख न किए जाने में कोई अवैधानिकता नहीं मिलती, क्योंकि अपराध धारा 135 के अंतर्गत उल्लिखित है और यद्यपि इसमें विभिन्न श्रेणियां हैं, तथापि वे केवल परिभाषा का स्वरूप रखती हैं, जिनमें विद्युत की चोरी का अपराध सम्मिलित है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा **आशिम @ हसीम (उपर्युक्त)** के मामले में दिए गए निर्णय पर किया गया भरोसा वर्तमान मामले में लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह गैंगस्टर अधिनियम से संबंधित था और गैंगस्टर अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न अपराधों के संबंध में पूर्णतः भिन्न विधिक अवधारणा निर्धारित की गई थी। **इंद्रेश पटेल (उपर्युक्त)** के मामले में इस न्यायालय की खंडपीठ ने यह दृष्टिकोण अपनाया था कि विद्युत अधिनियम की धारा 135 (1–क) के दूसरे परंतुक में निर्धारित 24 घंटे की अवधि निर्देशात्मक है और इसकी शर्तों के उल्लंघन के लिए कोई अन्य परिणाम निर्दिष्ट नहीं किया गया है। तथापि, समन्वय पीठ ने वरुण कुमार यादव (उपर्युक्त) के मामले में भिन्न दृष्टिकोण अपनाया है और इस सिद्धांत को लागू किया है कि जब किसी विशेष कार्य को किसी विशेष तरीके से किए जाने का निर्देश दिया गया हो, तो उससे भिन्न तरीके से किया गया कार्य शून्य और अवैध होगा, जैसा कि उच्चतम न्यायालय ने **डॉ. अरुण कुमार बनाम नगर निगम, बरेली, 2017 (2) ए.डी.जे. 638** के

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

मामले में प्रतिपादित किया है। **वरुण कुमार यादव (उपर्युक्त)** के निर्णय के विरुद्ध विशेष अनुमति याचिका दायर की गई है और वह अभी उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित है।

11. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आगे विद्युत अधिनियम की धारा 57 पर भरोसा किया है, जो अनुज्ञप्तिधारी द्वारा कार्य–निष्पादन के मानक से संबंधित है, और धारा 57 की उप–धारा (2) में यह प्रावधान है कि यदि अनुज्ञप्तिधारी उप–धारा (1) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट मानकों को पूरा करने में विफल रहता है, तो अधिरोपित किए जाने वाले किसी दंड या अभियोजन प्रारंभ किए जाने पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, वह प्रभावित व्यक्ति को ऐसी प्रतिकर राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा, जो समुचित आयोग द्वारा निर्धारित की जाए। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने उत्तर प्रदेश विद्युत आपूर्ति संहिता, 2005 के खंड 8.2 पर भी भरोसा किया है, जो इस बात की भी पुष्टि करता है कि पुलिस के समक्ष शिकायत 24 घंटे के भीतर दर्ज की जानी चाहिए तथा इस संबंध में वाद 30 दिनों के भीतर विशेष न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए और 30 दिनों के भीतर विशेष न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत करने में विफलता होने पर विद्युत अधिनियम की धारा 57 के अधीन दायित्व उत्पन्न होगा। अतः धारा 135 (1–क) के उपबंधों का अनुपालन न करने, अर्थात् 24 घंटे के भीतर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज न करने के परिणाम विद्युत संहिता तथा विद्युत अधिनियम की धारा 57 में स्पष्ट रूप से प्रदान किए गए हैं। इसलिए, **इंद्रेश पटेल (उपर्युक्त)** के मामले में इस न्यायालय की खंडपीठ द्वारा की गई यह टिप्पणी कि कोई परिणाम निर्धारित नहीं किया गया है, पूर्वविधि की उपेक्षा में की गई टिप्पणी अर्थात् पर इनक्यूरियम है, क्योंकि उक्त निर्णय में धारा 57 तथा विद्युत आपूर्ति संहिता, 2005 के खंड 8.2 के उपबंधों पर विचार नहीं किया गया। अतः इस न्यायालय की सुविचारित राय में **इंद्रेश पटेल (उपर्युक्त)** का निर्णय पर इनक्यूरियम होने के कारण बाध्यकारी नजीर नहीं है। ऐसा निष्कर्ष निकालने के पश्चात्, चूंकि विद्युत अधिनियम तथा विद्युत आपूर्ति संहिता दोनों में स्पष्ट परिणाम निर्धारित किए गए हैं और

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

Translated Version. Not For Legal Use.

अधिनियम में यह प्रावधान है कि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विद्युत आपूर्ति विच्छेदित किए जाने के 24 घंटे के भीतर आपराधिक कार्यवाही दर्ज की जानी चाहिए।

12. यह स्वीकार किया गया तथ्य है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट 4 दिन बाद, अर्थात् 24 घंटे की निर्धारित अवधि से काफी विलंब के पश्चात् दर्ज की गई। ऐसी स्थिति में, **वरुण कुमार यादव (उपर्युक्त)** के निर्णय पर भरोसा करते हुए, वर्तमान आवेदन **स्वीकार** किया जाता है और सत्र परीक्षण संख्या 557 वर्ष 2023 (राज्य बनाम सतीश कुमार भारती उर्फ छोटू), जो वाद अपराध संख्या 667 वर्ष 2020, भारतीय विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 135, थाना एंटी पावर थेफ्ट, जनपद चंदौली से उत्पन्न हुआ है तथा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, एफ.टी.सी., चंदौली के न्यायालय में लंबित है, की संपूर्ण कार्यवाही वर्तमान आवेदक के विरुद्ध एतद्द्वारा **निरस्त** की जाती है। प्रत्यर्थी संख्या 2 को आगे यह निर्देश दिया जाता है कि वह प्रत्यर्थी संख्या 3 के विरुद्ध समुचित कार्यवाही प्रारंभ करे, जो अधिनियम, 2003 की धारा 135 (1) (क) के अधीन अनिवार्य रूप से निर्धारित अवधि के भीतर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने में विफल रहा है।

(न्यायमूर्ति अनिश कुमार गुप्ता)

29 जून, 2026

एन.यू./ओ.के.

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

Translated Version. Not For Legal Use.